मानव अधिकार दिवस

आइलीन फिशर तथा ऑलिव रेब

चित्र: लिसल वील

भाषान्तर: पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा

मानव अधिकार दिवस

आइलीन फिशर तथा ऑलिव रेब

चित्र: लिसल वील

भाषान्तर: पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा

मानव अधिकार दिवस

मानव अधिकार दिवस हमारी सबसे नई छुट्टियों में एक है। पर यह जिस विचार का प्रतिनिधित्व करता है वह बहुत ही पुराना है। यह दरअसल उन हक़ों का प्रतीक है जिन्हें लोगों ने पिछले अनेकों सालों के संघर्ष से जीते हैं। और उन अधिकारों का भी जिन्हें वे भविष्य में जीतने की उम्मीद रखते हैं:

आज़ाद होने का अधिकार!

बराबरी का अधिकार!

आगे बढ़ने का अधिकार!

मानव अधिकार दिवस 10 दिसम्बर को मनाया जाता है। यह आज़ाद दुनिया के सभी लोगों का दिन है।

ये लोग पुराने देशों में रहते हैं और नए देशों में भी। वे अमीर और ग़रीब देशों के बाशिन्दे हैं। वे बड़े और छोटे, दोनों ही तरह के देशों में बसते हैं।

वे फूस से बने कच्चे झोंपड़ों में और ईंटों से बने पक्के मकानों में रहते हैं। वे धान के खेतों और कारख़ानों में काम करते हैं। वे काली, गोरी और भूरी, हर रंग की चमड़ी के लोग हैं।

पर आज से बहुत पहले हर देश में केवल मुट्ठी भर लोगों के अधिकार हुआ करते थे। ये शासक और अमीर लोग होते थे। वे अपने देशों को अपनी मनमर्ज़ी से चलाते थे।

उस ज़माने में हर देश में कई लोग गुलाम थे। उन्हें सूरज उगने से लेकर उसके ढ़लने तक मशक्कत करनी पड़ती थी। इन ग़ुलामों के कोई हक़-हक़ूक नही थे। अपने विचारों के सिवा उनका अपना कुछ भी नहीं होता था।

मिस्र में हज़ारों ग़ुलामों ने ही पिरामिड बनाए थे। उन्हें विशाल चट्टानों को तराशना, उन्हें घसीट कर लाना और तब सही जगह लगाना पड़ता था। वे हमेशा थके-मांदे और भूखे होते थे।

इटली में हज़ारों ग़ुलाम रोमन खेतों में खटते थे। उन्हें तपते लोहे से दाग़ा जाता था, जैसे मवेशियों को पहचान के लिए दाग़ते हैं। उन्हें सुबह खेतों की ओर हाँक दिया जाता और रात को वापस तहख़ानों की ओर।

यानी अधिकतर लोग एक बेहतर ज़िन्दगी की उम्मीद के बिना ही अपना जीवन जिए जाते थे। यह बात उन लोगों पर भी लागू थी जो ग़ुलाम भी नहीं थे। वे वहीं जीने और काम करने पर मजबूर थे जहाँ वे पैदा हुए थे। वे कहीं और आ-जा नहीं सकते थे। उन्हें वही करना पड़ता था जो उनके शासक कहते थे।

तब कुछ ऐसा घटा जिसने लोगों में उम्मीद की किरण जगाई। घटना आज से तकरीबन 750 बरस से भी पहले की है। यानी कोलम्बस ने अमरीका की खोज की, उसके भी काफ़ी पहले की।

इंग्लैण्ड के शासक किंग जॉन ने ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की कोशिश की। और ज़्यादा-से-ज़्यादा ताकत पाने की चेष्टा भी की। उसने सामन्तों की ज़मीनें हथिया लीं। व्यापारियों की सामानों से लदी बैलगाड़ियाँ ज़ब्त कर लीं और किसानों की फसलें जबरन ले लीं। और इस सबका विरोध दबाने के लिए बिना कारण ही लोगों को जेल में ठूंस दिया।

इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जनता ने मिल कर अपने राजा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन्होंने अपने हक़ों की मांग करते हुए कहा कि उन्हें:

अपनी चीज़ों पर मिल्कियत कायम रखने का हक़ हो।

निष्पक्ष सुनवाई का हक़ हो।

क्रूर शासक से सुरक्षा का हक़ हो।

सामन्तों ने इन अधिकारों को एक घोषणा पत्र में लिखा, जो मैग्ना कार्टा कहलाता है। उन्होंने राजा के ख़िलाफ़ एक सेना भी तैयार की। मतलब यह कि अगर किंग जॉन घोषणा पत्र पर दस्तख़त करने से इन्कार करे, तो वे लड़ने को तैयार थे।

लन्दन से बीस मील दूर थेम्स नदी के किनारे एक मैदान में राजा जॉन, सामन्तों और जनता की भीड़ से मिला। उसने लोगों को गुस्से से चिल्लाते सुना और उनकी सेना को लड़ने पर आमादा देखा। उसने मैग्ना कार्टा पर दस्तख़त कर दिए।

यह मानव अधिकारों की पहली जीत थी।

MAGNA CHARTA
June 15 · 1215

आज से क़रीब दो सौ वर्ष पहले संयुक्त राज्य अमरीका का अस्तित्व ही नहीं था। उसकी जगह केवल तेरह उपनिवेश थे, जो इंग्लैण्ड के तहत थे।

इंग्लैण्ड का शासक इन उपनिवेशों पर राज करता था। पर उपनिवेशों के बाशिन्दों को इंग्लैण्डवासियों जैसे अधिकार नहीं थे। राजा उन्हें कर देने को कहता, पर कानून बनाने में उनकी कोई मदद नहीं लेता। सो लोगों ने कहा नहीं! यह नहीं चलेगा!

चाय से लदे तीन जहाज़ बॉस्टन के बन्दरगाह पहुँचे। बॉस्टन के लोगों ने चाय पर कर देने से इन्कार कर दिया। उनमें से कुछ अमरीका के मूल निवासियों (रेड-इन्डियन) के लिबास पहन उन जहाज़ों में चढ़ गए। उन्होंने सारी चाय बन्दरगाह में फेंक दी।

‘बॉस्टन टी पार्टी’ कहलाई जाने वाली इस घटना ने इंग्लैण्ड के राजा को नाराज़ कर दिया। उसने सेना भेजी ताकि उपनिवेश के लोग राजा के बनाए कानूनों की पालना करें। पर लोग डरे नहीं, ना ही पीछे हटे। लोगों ने कहा:

राजा ने एक अर्से से हमारे अधिकारों को छीन रखा है।

अब हम राजा का हुक्म नहीं मानेंगे। हम आज़ाद राज्य हैं।

पर अपनी इस आज़ादी को हासिल करने के लिए उन्हें जंग लड़नी पड़ी।

लोगों ने अपने हल, अपनी दुकानें और औज़ार छोड़े और जनरल जॉर्ज वॉशिंग्टन की अगुवाई में लड़ने पहुँचे। पर उनके पास इतनी बन्दूकें नहीं थीं कि सबको दी जा सकें। जल्द ही ये सैनिक क्लान्त और भूखे हो चुके थे। वे सर्द मौसम में ठिठुरे, पर बहादुरी से लड़ते रहे। और आख़िरकार जीते।

तब इन तेरह राज्यों ने एकजुट हो एक संविधान बनाया। इसमें वे कानून दर्ज किए जिनके हिसाब से संयुक्त राज्य अमरीका का शासन चलाया जाना था।

पर इस संविधान में लोगों के हक़ों का कोई ज़िक्र ही न था। इससे हर राज्य के लोग चौंके। उन्होंने हल्ला किया। पूछा कि जिन अधिकारों के लिए हम लड़े, वे कहाँ हैं?

बोलने की आज़ादी।

प्रेस की आज़ादी।

अपना धर्म पालन करने की आज़ादी।

बैठकें कर पाने की आज़ादी।

मुकदमों की ज्यूरी द्वारा सुनवाई का अधिकार।

हमारे दूसरे अधिकार।

और उन्होंने मांग कीः

हमारे हक़ों को एक 'बिल ऑफ राइटस्' (अधिकारों के विधेयक) में दर्ज किया जाए, नहीं तो हम सुरक्षित नहीं रह सकेंगे।

इसलिए संविधान में बिल ऑफ राइटस् जोड़ा गया।

लगभग इसी समय फ्रांस के लोग भी अपने अधिकार पाने के लिए लड़ रहे थे। वे अपने शासक के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हथियारों से लैस लोग राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतर आए।

चीखते, नारे लगाते, गाते हुए उन्होंने अपने हक़ों की मांग की:

बोलने की आज़ादी!

धर्म पालने की आज़ादी!

अमीरों और ग़रीबों के लिए समान अधिकार!

उन्होंने भयानक जंग लड़ी और अपने अधिकार जीते।

समय के साथ तमाम दूसरे देशों के लोगों ने भी अपने अधिकार जीते। पर इसके बावजूद यह भी सच था कि कुछ लोगों के कोई अधिकार थे ही नहीं। दुनिया में अब भी तमाम लोग गुलाम थे। संयुक्त राज्य अमरीका में भी तब तक गुलाम थे जब तक राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने उन्हें आज़ाद न घोषित कर दिया।

यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हमने धीरे-धीरे कई नए हक़ जीते हैं।

स्त्रियों और पुरुषों को अपनी इच्छा से
मत देने का अधिकार।

बच्चों को स्कूल जाने का, यानी शिक्षा पाने का अधिकार।

किसी यूनियन में शामिल होने का अधिकार।

बुढ़ापे में सुरक्षा का अधिकार।

पर दुनिया में कई लोगों को वे अधिकार नहीं हैं जो हमारे पास हैं। उन्हें शासन करने वाले बताते हैं कि उन्हें किसको वोट देना है। वे अपना काम और जगह छोड़, अपनी मर्ज़ी से कहीं और जा नहीं सकते। उनके धर्म स्थानों के दरवाज़े उन्हें बन्द मिलते हैं।

पर क्या मज़ाल कि वे अपने शासकों के ख़िलाफ़ कुछ कह सकें। क्या मज़ाल कि वे रेडियो या टीवी पर ऐसे कार्यक्रम सुन या देख सकें, जिनकी मनाही कर दी गई हो। वे अपने हक़ों के लिए आवाज़ बुलन्द करते भी डरते हैं।

उन्हें डर यह रहता है कि पुलिस रात के अंधेरे में आ उन्हें घसीट कर जेल न ले जाए।

कुछ लोगों को अपने वे अधिकार फिर से पाने में मदद की ज़रूरत है, जो उनसे छीन लिए गए हैं। तो कुछ लोगों को, जिनके कोई हक़ ही नहीं हैं, उन्हें वे हक़ पाने में मदद चाहिए। उन्हें यह मदद मिल रही है...संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड नेशन्स) से।

संयुक्त राष्ट्र ने अपना पहला कदम 1946 में उठाया था।

उसने एक आयोग का गठन किया जिसे दुनिया भर के लोगों के अधिकारों का अध्ययन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी।

इस मानव अधिकार आयोग ने कहा:

दुनिया के सभी लोग एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं।

वे एक से हाथों से काम करते हैं।

वे एक से दिमाग़ से सोचते हैं।

वे एक समान रूप से भवनाओं को महसूस करते हैं।

उन सबके समान अधिकार होने चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के इस आयोग ने तब मानव अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया।

संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अधिकतर देशों ने मानव अधिकार घोषणा पत्र के पक्ष में मत डाला। तब 10 दिसम्बर 1948 को इसे अपना लिया गया। मानव अधिकार दिवस के दिन हमें इसी की सालगिरह मनाते हैं।

सबके लिए समान अधिकार के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य की ओर यह कूच इसी के साथ शुरू हुआ।

हर देश की लड़कियाँ और लड़के इसमें जुड़ रहे हैं। वे यह बता देना चाहते हैं कि वे सबके लिए बराबर के हक़ों के पक्ष में हैं।

मानव अधिकार दिवस को वे अपने स्कूलों में कार्यक्रम करते हैं। वे नाटकों के ज़रिए समझाते हैं कि इंग्लैण्ड में किंग जॉन के समय में क्या हुआ था। वे बॉस्टन टी पार्टी और बिल ऑफ राइटस् की बात करते हैं।

मानव अधिकार दिवस पर लड़कियाँ और लड़के आज़ादी के तराने गाते हैं। वे साफ़ कहते हैं कि जब भी कोई नेता सब कुछ अपने तरीके से चलाता है, तो लोगों के अधिकार किस तरह छिन जाते हैं। वे यह भी बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र किस प्रकार लोगों के अधिकार पाने और उन्हें कायम रखने में मदद करता है।

मानव अधिकार दिवस पर बालिकाएं और बालक यह चर्चा भी करते हैं कि वे खुद इस मुहिम में किस तरह से मदद कर सकते हैं।

वे कहते हैं:

हमें हमेशा अपने अधिकारों के पक्ष में खड़ा रहना है।

हमें अलग होने के कारण किसीको अपने से नीचा नहीं मानना है।

हमें सबके साथ वैसा व्यवहार करना है,
जैसा हम खुद के साथ चाहते हैं।

हमें सबको बराबर का मौका देना है।

लेखिकाओं के बारे में

आइलीन फिशर कॉलोरैडो की तलहटी में एक खेत में बने केबिन में रहती हैं। इस केबिन को बनाने में उन्होंने खुद भी मदद की थी। अपनी मेज़ के पास बनी खिड़की से वे खेत-खलिहानों और देवदार के वृक्षों से ढ़के पहाड़ों के परे आरापाहो की चोटी को देख सकती हैं।

मिस फिशर का जन्म मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप में हुआ था। जब वे पाँच वर्ष की हुईं, उनका परिवार आइरन नदी के पास एक फार्म में रहने चला आया। यहाँ उन्होंने प्रकृति से प्रेम करना और बदलते मौसमों का इन्तज़ार करना सीखा। जब वे स्कूल में ही थीं, उनकी पहली कविता एक स्थानीय अख़बार के हाई स्कूल स्तंभ में छपी। तब से अब तक उन्होंने बच्चों के लिए कई क़िताबें और नाटक लिखे हैं। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और मिसूरी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री भी हासिल की।

ऑलिव रेब शिकागो विश्वविद्यालय की स्नातक हैं। उन्होंने नॉर्थवैस्टर्न युनिवर्सिटी लॉ स्कूल से एलएलबी की डिग्री हासिल की। उन्हें अमरीका की सर्वोच्च अदालत में वकालत करने की अनुमति दी गई।

शिकागो, इलिनॉय की मूल निवासी ऑलिव ने, शिकागो में ही पंद्रह सालों तक जिमरिंग तथा रेब नामक फर्म में वकालत की। उन्होंने मशहूर रोसिका श्विमर के नागरिकता के मामले को सर्वोच्च न्यायालय में लड़ा, जिसने इस मसले पर मिसाल स्थापित की। मिस रेब, मिडिल वैस्ट के श्रम ब्यूरो में व्याख्याता रहीं। उन्होंने कई पत्रिकाओं में कानूनी मसलों पर लेख लिखे, जिनमें *रीडर्स डाइजेस्ट* भी शामिल है।

वे बच्चों के नटकों के दो खण्डों की सह-लेखिका रही हैं, *युनाइटेड नेशन्स प्लेयस् एण्ड प्रोग्रामस् और पैट्रीआटिक प्लेयस् एण्ड प्रोग्रामस्* । वे बोल्डर, कॉलोरैडो के पास एक फार्म में रहती हैं, जहाँ वे पहाड़ चढ़ने और हाइकिंग का आनन्द लेती हैं।

चित्रकार के बारे में

लिसल वील तब से रेखा व रंग चित्र आँकती रही हैं, जब वे वियाना, ऑस्ट्रिया में छोटी-सी ही थीं। किशोरावस्था में भी उनके चित्र यूरोप के अख़बारों और पत्रिकाओं में छपा करते थे। उन्होंने अनेक बाल पुस्तकों का लेखन किया है और उन्हें चित्रों से संवारा भी है। वे कई बार मंच या टीवी पर, संगीत के साथ, बिजली की सी गति से चित्र आँकती हैं। देश भर के बच्चे उनके इन प्रदर्शनों को बेहद पसन्द करते हैं, जिन्हें 'क्रेयांस के साथ बैले' कहा जाता है।

लिसल वील को अपनी पुस्तकों की प्रेरणा अपनी यात्राओं से मिलती है। वे अपने पति के साथ कनाडा, युरोप के कई देशों और अमरीका के कई राज्यों में यात्रा कर चुकी हैं। वे न्यू यॉर्क में सैंट्रल पार्क के सामने रहती हैं।